Minutes of the meeting held with All Himachal P.W.D. & I.P.H. Workers Union, H.P. under the Chairpersonship of Smt. Anuradha Thakur, Secretary (IPH) to the Govt. of H.P.on 17.05.2016 at 4.00 P.M. in Conference Hall, HP Secretariat Shimla.

बैठक में सरकार की ओर से भाग लेने वालों की सूचि अनुलग्नक ''क'' पर

व

यूनियन की ओर से भाग लेने वालों की सूचि अनुलग्नक ''ख'' पर

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदया ने समस्त उपस्थित सरकारी व संघ के सभी सदस्यों का बैठक में पधारने का स्वागत किया। इसके बाद श्री सीता राम सैनी अध्यक्ष All Himachal P.W.D., I.P.H.& Contractual Workers Union, (INTUC) H.P. ने उनकी समस्याओं को सुनने व समाधान करने के लिए अध्यक्ष महोदया का आभार प्रकट किया। मांगो की विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :–

1. आई0पी0एच0 विभाग में पंचायत के माध्यम से अंशकालीन वाटर गार्डों को दैनिक भोगी बनाने बारे में :– सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग में पंचायत के माध्यम से जल भण्डारों से पानी वितरण करने को अंशकालीन आधार पर लगभग 6000 वाटर गार्ड कार्यरत है। इनको विभाग ने 4 घन्टे के लिए नियुक्त किया है । वर्तमान में विभाग वाटर गार्डों से 4 घन्टे के बजाए पूरा दिन डियुटी ले रहा है और मासिक वेतन केवल 1350/–रुपये दिया जा रहा है। वाटर गार्डों को पूरा दिन काम करके उनको वास्तविक मानदेय भी नहीं मिल रहा है। जबकि सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग में बेलदारों और हैल्परों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं और विभाग के पास स्टाफ की बहुत कमी हो गई है। अतः सरकार से अनुरोध है कि वाटर गार्डों को दैनिक भोगी बनाया जाये। इस प्रकिया से सिंचाई एवं ज़न स्वास्थय विभाग में स्टाफ की कमी भी दूर हो जाएगी और वाटर गार्डों से विभाग 8 घन्टे भी डियुटी ले सकता है। वर्तमान में इन वाटर गार्डों को सरकार न्युनतम वेतन भी नहीं दे रही है।

After detailed discussion in the matter, the Chairperson informed the Association that at present 4720 Water Guard have been engaged instead of 6000 in different years, as per detail given below:-

2006	= 2220
2012	= 2000
2014	= 500
Total	**= 4720**

Out of 4720 Water Guard, 4383 have been engaged by the PRI's and the engagement of remaining 337 Water Guard by PRI's is under process. The Water Guard engaged by the PRI's being paid renumeration of Rs.1350/- per month by the Gram Panchayat as per instructions of Govt. There is no such policy framed by the Govt. for converting services of the Water Guard into daily wages basis. However, the matter will be examined in consultation with Rural Devlopement and Finance Departments.

2. 15.05.2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सेवा निवृत होने के बाद सी0पी0एफ0 की अन्तिम निकासी की पेमेन्ट न मिलने के बारे में :– 15.05.2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सी0पी0एफ0 योजना के तहत लेखा संख्या आबंटित किए थे उनको जी0पी0एफ0 में परिवर्तित के बजाये निजी कम्पनी के नाम एम. ओ. यू. हस्ताक्षर किया है। निजी कम्पनी अब अपने मनमाने ढंग से दुबारा प0रा0न0(PRAN) लेखा संख्या आबंटित कर रही है जबकि यह कामगारों से सरेआम धोखा हो रहा है । कर्मचारियों को तीन साल सेवा निवृत होने के उपरान्त भी उनके सी.पी.एफ. की बकाया राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। कई कर्मचारी सेवा के दौरान स्वर्गवास भी हो गये हैं उन्हें भी अब तक सी.पी.एफ. की बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अतः सरकार से अनुरोध है कि सी.पी.एफ. का रखरखाव को दुबारा वरिष्ठ उप महालेखाकार शिमला में वापिस किया जाये और सेवा निवृत कर्मचारियों/स्वर्गवास कर्मचारियों के आश्रितों की सी.पी.एफ. की अन्तिम निकासी की पेमेन्ट को कम्पनी से दिलवाई जाये।

The matter was discussed in detail and it has been decided that the matter regarding maintaining of CPF account will be raised with the Senior DAG(A&E) H.P in consutation with Finance Deptt., immediately.

3. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में फोरमैन के पद सृजित करने के बारे में :– सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग में आज तक कोई भी फिटर और पम्प आप्रेटर मकैनिक, विद्युतशियन को पदोन्नत नहीं किया गया जबकि इनकी पदोन्नति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत फोरमैन के पद पर होनी है। कर्मचारी 30 से 35 साल तक की नौकरी करके बिना पदोन्नति के ही सेवा निवृत हो रहे हैं जबकि एक सेवादार जोकि केवल दसवीं पास होता है वह तीन बार पदोन्नत होकर अधीक्षक ग्रेड–2 सेवा निवृत होता है। युनियन ने प्रत्येक अनुभाग में फोरमैन रखने बारे अपना प्रस्तावना पत्र दिया था परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि उपरोक्त वर्गों से वरिष्ठ कर्मचारियों को फोरमैन पदोन्नत कर दिया जाता है तो सरकार पर कोई वितीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि यह कर्मचारी पहले ही फोरमैन के बराबर ही वेतन ले रहे हैं। परन्तु प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि उसे पूरी सरकारी सेवा में कम से कम एक बार पदोननति अवश्य मिले। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मांग को अतिशीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें।

The matter regarding creation/upgradation of 50 posts of Foreman at Sub-Divisional level was discussed in detail. After discussion, the Chairperson has desired to fill up the vacant post of Foreman at Circle level by promotion from Pump Operators, Electrician, Mech-cum-Fitter, as per R&P Rules immediately. Simultaneously, due to the small cadre strength of Foreman i.e. only 9 Nos., the proposal for creation/upgradation of 50 posts of Foreman at Sub-Divisional level is under examination at Government level.

4 जिन पम्प आप्रेटरों, फिटरों और विद्युतशियनों ने दसवीं पास के साथ आई0टी0आई0 से दो वर्ष का प्रशिक्षण पास किया है उन्हें पंजाब राज्य के आधार पर 1996 के वेतनमान के अनुसार 4020–6200 का वेतन दिया जाये।

The matter regarding allowing the Pay scale of Rs. 4020-6200 and 5910-20200+2800 G.P. to ITI trained P.O., Fitter & Electrician on the analogy of Punjab Pay pattern was taken up with the Finance Deptt., which has been rejected. However, matter will again be taken up with the Finance Deptt. for its reconsideration.

5 आई. पी. एच. विभाग में स्टोर क्लर्क, शिकायत क्लर्क और वाटर वर्क्स क्लर्क कार्यरत हैं। यह कर्मचारी उप–मण्डल और मण्डल कार्यालय में कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक का काम कर रहे हैं और इनकी आज तक कोई भी पदोन्नति नहीं हुई है। इस विभाग में क्लर्क के पद रिक्त पड़े हैं। सरकार से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों को लिपिकीय वर्ग में मर्ज किया जाये। इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नही पड़ेगा। जबकि लोक निर्माण विभाग में स्टोर क्लर्कों को लिपिकि वर्ग में मर्ज कर दिया गया है।

It is stated that in terms of Hon'ble High Court order, a Committee was constituted to examine the matter but the Committee did not find it possible to combine the cadre. Thereafter, the matter for promotion to the categories of WWC etc. was processed at Govt level. and the same has been rejected. Further it is informed that the category of Complaint Attendant, Store Clerk & WWC, were declared as Technicians and cadre has been bifurcated in the ratio of 20:30:50 by granting three tier higher pay structure so it may not be appropriate to consider the demand. However the matter will be re-examined on the analogy of PW Department.

6. आई. पी. एच. विभाग में कार्यरत वाटर वर्कस क्लर्क वर्ग के लिए पदोन्नति नियम बनाये जाये ताकि इस वर्ग के कर्मचारियों को भी 25 से 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कम से कम एक बार पदोन्नति का अवसर मिल सके।

This item already discussed in point No.5 above.

7 आई. पी. एच. विभाग में कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाये।

The vacant post of Work Inspectors are being filled up by promotion from time to time as per R&P Rules. However, the position of Beldar/Helper already promoted to the post of Work Inspector by the Deptt., are being scruitnized and vacancy, if any found as per R&P Rules, will be filled up accordingly.

8 आई. पी. एच. विभाग में जो कर्मचारी गाड़ियां चला रहे हैं उन्हें लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर ड्राईवर पदोन्नत किया जाये।

The case for promotion to the post of Drivers of those officials who are plying the vehicle in IPH Deptt., is under active consideration at Govt. level and a

proposal on the line of PW Department has already been submitted to the Finance Deptt. for their concurrence.

9. जिन सर्वेयरों और कार्य निरीक्षकों ने 20 वर्ष की रैगुलर सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एक मुश्त छुट देकर कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर पदोन्नत करने की कृपा करें।

The matter was discussed in detail and the Chairperson desired to have the complete information in respect of those Surveyors/Work Inspector who have completed more than 20 years regular service in the Department. The E-in-C will provide information within 3 weeks.

10. आई. पी. एच. विभाग के प्रत्येक उप–मण्डल में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) और (यान्त्रिक) का पद सृजित करने की कृपा करें और इन पदों को इस विभाग में कार्यरत तकनीकी योग्यता वाले विद्युतशियनों और पम्प आप्रेटरों से पदोन्नति करके भरा जाये।

The matter was discussed in detail and the Chairperson has desired to moot the proposal for creation of posts of J.E. (Elect.) in every Sub-Divisional level alongwith the information in respect of those Electrician & Pump Operators who are technically qualified. Engineer-in-Chief has been directed to examine the genuiness of the demand and sent the proposal to the Government accordingly.

11. कार्य निरीक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करके आई. पी. एच. विभाग में कार्यरत मेटों, चौकीदारों के लिए कोटा रखा जाये। महोदया इस विभाग में कुछ बेलदारों, मेटों और चौकीदार ने आई. टी. आई. से दो वर्ष का डिप्लोमा प्रारूपकार और मोटर मकैनिक में प्रशिक्षण पास किया और कुछ बेलदारों, मेटों और चौकीदारों ने सिविल अभियन्ता में तीन वर्ष का डिप्लोमा भी उतीर्ण कर रखा है। महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि इन वर्गों की पदोन्नति के लिए कार्यनिरीक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने की कृपा करें।

After detailed discussion in the matter it was explained that the provision for promotion of Mate/Luskar categories has already been made in the R&P Rules of Work Inspectors. As regard the promotion of above categories, the provisional seniority list of Beldar/Helper/Lushkar/Mate has been cirulcated by the ENC vide letter dated.25.05.16.. After finalization of above seniority list, the promotion of eligible officials will be made, as per R&P Rules accordingly, against vacancy.

12 पम्प आप्रेटरों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करके जिन बेलदारों और हैल्परों को विभाग ने दो माह की ट्रेनिंग करवाई है और उन्हें पम्प आप्रेटर हैल्पर

पदनामित किया गया है उनकी पदोन्नति के लिए कोटा किया जाये । इसके अतिरिक्त पम्प गृहों में विभाग स्टाफ की कमी के कारण चौकीदारों से पम्प मोटर चलाने का कार्य करवा रहा है और चौकीदारों ने भी आई. टी. आई. से पम्प आप्रेटर तथा अन्य ट्रेड में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है। सरकार से अनुरोध है कि तकनीकी योग्यता वाले चौकीदारों की पदोन्नति के लिए भी कोटे का प्रावधान किया जाये।

The matter was discussed in detail and the chairperson desired to issue necessary instructions to field offices regarding promotions of these categories who have gone under 2 months training to the post of Pump Operators. The ENC was also directed to draw the combined seniority list within one month.

13 कुशल/अर्द्धकुशुल क्लास–3 श्रेणी के कर्मचारियों की 29.05.2014 की राजकीय अधिसूचना के तहत 4–9–14 की सेवा पूर्ण करने के बाद मिलने वाली वेतन वृद्धि को काट दिया गया है। सरकार से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को वापिस लिया जाये और जिन कर्मचारियों को 20: 30: 50 के अनुपात के कोई वितीय लाभ नहीं होता है उनको प्रवीणता वेतन वृद्धि दी जाये। या सभी कुशल अर्द्ध कुशल क्लास–3 श्रेणी के कर्मचारियों को राजकीय अधिसूचना No. Fin. (PR) B (7) 1/98-IV dated 9.01.2007 के अनुसार तकनीशियन ग्रेड–2 और तकनीशियन ग्रेड–1 बनाया जाये।

It was informed that the benefit of 20:30:50 is being granted to the eligible official from time to time as and when the same is due to them. But, the matter will be examined by the IPH Department in the anology of PW Department

14 वर्ष, 1986 के वेतनमान के अनुसार क्लर्क और फिल्ड के कुशल अर्द्ध कुशल क्लास–3 श्रेणी के कर्मचारियों में वेतन विसंगति थी – जिसका सरकार ने युनियन के अनुरोध पर निवारण कर दिया था। महोदय इस बार भी क्लर्क और फिल्ड के स्टाफ को वेतन में भारी विसंगति हुई है। अतः सरकार से अनुरोध है कि वर्ष, 2006 के वेतनमान में क्लर्क और फिल्ड के स्टाफ के वेतन विसंगति का निवारण करके क्लर्क के बराबर 3200 रूपये का ग्रेड पे देने की कृपा करें जी।

It was informed that the pay scale notified by the H.P. Govt. are being granted to these categories. It is further stated that the matter for granting the pay scale for Industrial/Non Industrial category of Class-III in field offices was discussed with the parent Department i.e. P.W. Deptt., on 27.05.16 and it has been informed that the pay scale notified by the Govt. are being granted to these categories declared as Technician category by granting three tier higher pay structure accordingly. The

Chairperson directed to ENC to send the proposal for taking up the matter with Finance Department.

15 आई. पी. एच. विभाग में कार्यरत ड्राईवर वर्ग का भी 20: 30: 50 के अनुपात में श्रेणीकरण नहीं किया जा रहा है–जबकि यह वर्ग भी तकनिशियन श्रेणी में आता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि ड्राईवर वर्ग का भी 20:30:50 के अनुपात में श्रेणीकरण करके इन्हें तकनीशियन ग्रेड–2 और तकनीशियन ग्रेड–1 बना कर अगला वेतनमान देने की कृपा करें।

It was informed that the category of Driver does not fall in the category of Technician category; hence it is not possible to grant them benefit of 20:30:50. However, the matter has been discussed with the parent Department i.e. P.W. Deptt., on 27.05.16 and informed that no benefit of 20:30:50 has been granted to Drivers category since they are in receipt of other benefits i.e Uniforms, special increment after 20 years and other allowances.

16 माप दण्ड के अनुसार पम्प आप्रेटर, फिटर और चौकीदारों के पदों को सीधे तौर पर भर्ती करके भरा जाये–ताकि बेरोजगार को रोजगार मिल सके और ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिबन्ध लगया जाये।

The approval for filling up of 302 vacant posts of Pump Operators & 352 posts of Fitter to be filled up on contract basis have already been granted which is under process and these posts will be filled up shortly as per R&P Rules. As regard to fill up the vacant post of Pump Operators & Fitters by promotions, the necessary direction to fill up the 302 vacant post of Pump Operators & 88 posts of Fitters has already been conveyed to field offices by the ENC vide letter dated.24.05.2016.

17 सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू करने के बारे में:– हिमाचल प्रदेश बनाम राकेश कुमार और सोम नाथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2015 को जारी फैसले को लागू करके सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त रैगुलर करके बकाया राशि का भुगतान किया जाये।

The decision of Hon'ble Supereme Court has been implemented by the I&PH department.

बैठक के अन्त में ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उनकी समस्याओं को सुनने व समाधान करने के लिए अध्यक्ष महोदया का आभार प्रकट किया और बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

(हस्ताक्षर)

विशेष सचिव (सिंचाई एवं जन स्वा0),
हिमाचल प्रदेश शमला–2.

पृष्ठांकन संख्याः आई.पी.एच.–ए.–बी.(15) 3/2015 दिनांकः 11.6.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग हिमाचल प्रदेश.
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग हिमाचल प्रदेश.
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग हिमाचल प्रदेश । उनसे अनुरोध है कि उनके वृत से सम्बन्धित मांगो की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
4. निजि सचिव प्रमुख अभियन्ता एवं निजि सहायक प्रस्तोता ।
5. श्री सीता राम सैनी अध्यक्ष, All Himachal P.W.D.,I.P.H.& Contractual Workers Union, (INTUC) H.P. / V.P.O Mansimble, Teh. Palampur Distt. Kangra, H.P.
6. गार्ड फाईल ।

सुशील

विशेष सचिव,(सिंचाई एवं जन स्वा0),
हिमाचल प्रदेश शमला--2.

अनुलग्नक 'क'

NAME OF THE OFFICERS WHO WERE PRESENT IN THE MEETING HELD ON 17.5.2016 TO DISCUSS THE DEMANDS OF THE UNION

1.	Sh. Sushil Kumar Kapta	Spl. Secy(IPH)
2.	Sh. R. M Mukual	Chief Engineer
3.	Sh. Manmohan Jassal	Under Secy(IPH)
4.	Smt. Beena Rani Gupta	Registrar

अनुलग्नक "20"

Name of the representative of the Union who were present in the meeting held on 17.5.2016 to discuss the demands of the Union.

1.	S/Sh. Baba Hardeep Singh	State INTUC President	Solan
2.	Sita Ram Saini	State President	Palampur
3.	Jagtar Singh Bains	State Gen. Secretary	Bilaspur
4.	Surjeet Rana	State Gen. Secretary	Solan
5.	Vishwa Dev	State Gen. Secretary	Rohru
6.	Khimi Ram Chauhan	State Gen. Secretary	Kullu
7.	Mohinder Rana	State Secretary	Indora
8.	Bhupindar Chandel	Sr. Vice President	Bilaspur
9.	Prem Bhatia	State Secretary	Ghumarwin
10.	Sanjeev Jasotia	President	Chamba
11.	Surindra Kumari	Vice President	Bilaspur
12.	Kashmir Thakur	President	Padhar
13.	Raj Kumar Chouhan	Vice President	Nalagarh
14.	Kailash Rana	President	Nalagarh
15.	Karnail Singh	President	Fathaipur
16.	Tota Ram	Sr. Vice President	Sirmour
17.	Sushil Kumar	President	Dodra Kwar
18.	Ved Parkash	President	Rohru
19.	Rajesh Kumar	President	Jubal Kotkhai
20.	Rakesh Kumar	Pardhan	Bangana
21.	Vipan Kumar	Pardhan	Sunhait
22.	Rattan Lal Sharma	Pardhan	Ghumarwin
23.	Vinod Kumar	Pardhan	Una
24.	Nita Ram Verma	Gen. Secretary	Solan
25.	Jyoti Parkash	Pardhan	Nadoun
26.	Happy Kumar	Pardhan	Amb
27.	Ravindar Kumar	Pardhan	Pragpur
28.	Ashok Kumar	Pardhan	Dehra
29.	Manoj Kumar	Pardhan	Kasuli
30.	Virendar Kumar	Pardhan	Kandaghat
31.	Sonu Lohia	Pardhan	Doulatpur
32.	Deepka Kumar	Gen. Secretary	Hamirpur
33.	Mohan Negi	Pardhan	Shimla
34.	Harnam	Gen.Secretary	Chail
35.	Babu Ram	Pardhan	Dhalli
36.	Jatindar Gupta	Pardhan	Suni
37.	Prem Singh	Pardhan	Mandi
38.	Gagan Singh	Vice President	Bilaspur
39.	Sushil Kumar	Gen. Secretary	Sadar Bilaspur
40.	Rajesh Kumar	Vice President	Chail
41.	Jiban Kumar	President	Dharmshala
42.	Dharam Singh Sehgal	State Vice President	Bilaspur

43.	Bunty	Pardhan	Dadashiva
44.	Subash Chand	Gen. Secretary	Palampur
45.	Rajinder Kumar	Pardhan	Thural
46.	Virjesh Kumar	Pardhan	Baijnath
47.	Vidya Devi	Gen. Secretary	Kasumpti